भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2923

12 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमृत 2.0 योजना के तहत तेलंगाना को निधि का आवंटन

†2923. श्री गोडम नागेशः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को तेलंगाना के नगर निगम प्रशासन और शहरी विकास (एमएएंडयूडी) विभाग से शहरी क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों की समस्याओं के समाधान के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अमृत 2.0 योजना के तहत या किसी अन्य योजना/विशेष प्रयोजी माध्यम के तहत विशेषकर हैदराबाद शहर और पड़ोसी जिलों, जैसे मेदाचल, मल्काजीगिरी और रंगा रेड्डी से संबंधित मलजल और पेयजल पूंजीगत व्यय को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को सहमति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) : आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 को कार्यान्वित कर रहा है, जिसे दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 को प्रारंभ किया गया है, जिससे शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनने में मदद मिलेगी।

अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को अमृत 2.0 के दिशानिर्देशों के व्यापक ढांचे के भीतर परियोजनाओं को डिजाइन करने, प्राथमिकता देने और कार्यान्वित करने का अधिकार दिया गया है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा प्रस्तुत राज्य जल कार्य योजनाओं (एसडब्ल्यूएपी) को अनुमोदन देता है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना और परियोजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) की जिम्मेदारी है। इसके अलावा, अमृत 2.0 के दिशानिर्देशों में राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) के गठन के विशिष्ट प्रावधान हैं। इसके अलावा, राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण में एसएचपीएससी को तकनीकी

सहायता प्रदान करने के लिए शहरी विकास और आवास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) भी मौजूद है।

तेलंगाना राज्य में, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत 9,584.25 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, अमृत 2.0 पोर्टल पर राज्य द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, हैदराबाद शहर और तेलंगाना के मेदाचल-मलकाजीगिरी और रंगा रेड्डी जिलों में अमृत 2.0 के तहत 4,072.96 करोड़ रुपये की 36 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिसमें हैदराबाद शहर में 3,849.10 करोड़ रुपये की 3 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं और 151 करोड़ रुपये की 5 जलापूर्ति परियोजनाएं, मेदाचल-मलकाजीगिरी और रंगा रेड्डी जिलों में 72.86 करोड़ रुपये की 28 जलाशय नवीकरण परियोजनाएं शामिल हैं।

******